प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हर्षवर्धन पाठक पुत्र श्री सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नू, निवासी जनपद-मीरजापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हर्षवर्धन पाठक पुत्र श्री सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नू, निवासी न्यू बी0आई0पी0 रोड, कस्बा-विन्ध्याचल, थाना-विन्ध्याचल, जनपद-मीरजापुर का है। बंदी द्वारा दिनांक 05.12.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, राड व छुरा से मारकर पंकज पाठक व कमल पाठक की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-32/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34] 307/34 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेडमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर के आदेश दिनांक 18.10.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.05.2021 तक 15 वर्ष, 02 माह, 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 03 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट@वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर ने बंदी द्वारा किया गया अपराध जघन्य श्रेणी में होने, कारित अपराध समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ने एवं सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने तथा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बंदी की उम्र 39 वर्ष होने तथा जिला मजिस्ट्रेट@वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हर्षवर्धन पाठक (बन्दी संख्या-300/2009) पुत्र श्री सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नू, निवासी जनपद-मीरजापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-50/2022/2483(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मीरजापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।